**संख्या-68/2025/001-189डब्लू-1-25-27-3099/185/2025**

प्रेषक,

**सिद्धाशरण पाण्डेय**
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

**प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,**
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

**सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-3** **लखनऊ : दिनांक 23 दिसम्बर, 2025**

**विषय:- भू-सन्दर्भ वाद संख्या-142/1999 जसवंत सिंह बनाम उत्तर प्रदेश सरकार तथा इजरायवाद संख्या-47/2021 में पारित आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्तविषयक मुख्य अभियन्ता (अग्रिम नियोजन) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-645/मु0अ0(अनि)/अनिम-6/यू-3/भू-प्रतिकर/पूर्वीगंगा,दिनांक 04.09.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्टकरें।

**2-** अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, बिजनौर से सम्बन्धित भू-सन्दर्भ वाद संख्या-142/1999 जसवंत सिंह बनाम उत्तर प्रदेश सरकार में मा0 जनपद न्यायालय, बिजनौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.03.2000 तथा इजरायवाद संख्या-47/2021में मा0 लारा कोर्ट, मुरादाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.08.2025 के अनुपालन हेतु धनराशि रू0 25,68,087.00 (पच्चीस लाख अडसठ हजार सत्तासी मात्र) का भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में दिशा निर्देश जारी किये जाने की विधिक बाध्यता है।

अत: भू-सन्दर्भ वाद संख्या-142/1999 जसवंत सिंह बनाम उत्तर प्रदेश सरकार में मा0 जनपद न्यायालय, बिजनौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.03.2000 तथा इजरायवाद संख्या-47/2021में मा0 लारा कोर्ट, मुरादाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.08.2025के अनुपालन हेतु धनराशि रू0 25,68,087.00 (पच्चीस लाख अडसठ हजार सत्तासी मात्र) के भुगतान के सम्बन्ध में वित्तीय स्वीकृति निर्गत किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

**3-** इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त भुगतान करने के पूर्व पुन: एक बार भूमि के स्वामित्व के अभिलेखों एवं तत्सम्बन्धी गणनाचक्र का प्रवृत्त नियमों के प्रकाश में भलभांति परीक्षण एवं समाधान कर लेने के पश्चात ही भुगतान सही भू-स्वामी को किया जाए। किसी गलत भू-स्वामी को किए गए भुगतान के लिए अथवा एक ही भू-स्वामी को उसी भूमि के लिए एक से अधिक बार नियमों के विरूद्ध भुगतान करने पर यह एक वित्तीय अनियमितता होगी, जिसके कारित होने पर सम्बन्धित समस्त अधिकारी/अभियन्ता/कर्मचारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

---

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

**4-** इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रू0 25,68,087.00 (पच्चीस लाख अडसठ हजार सत्तासी मात्र)को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26के आय-व्यय में अनुदान संख्या-094 लेखाशीर्षक- 4700-19-050-10-16-24 पूर्वीगंगा नहर परियोजना (वाणिज्यिक) के नामे डाला जायेगा।

**5-** यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/ 2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
सिद्धाशरण पाण्डेय
संयुक्त सचिव

**संख्या एवं दिनांक यथोक्त।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- वित्त नियंत्रक, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
3- मुख्य अभियन्ता (बजट), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
4- मुख्य अभियन्ता (अग्रिम नियोजन), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
5- मुख्य अभियन्ता,स्तर-1 (रूहेलखण्ड), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, बरेली।
6- मुख्य अभियन्ता (पूर्वीगंगा), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0,मुरादाबाद।
7- अनु सचिव(लेखा)/आहरण वितरण अधिकारी, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 शासन।
8- कोषाधिकारी, बिजनौर।
9- अधीक्षण अभियन्ता, पूवीगंगा नहर निर्माण मण्डल, हरिद्वार।
10- अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, बिजनौर।
11-सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-9, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 शासन।
12- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
13- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, वित्त विभाग उ0प्र0 शासन।
14- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
चन्द्र भूषण
उप सचिव

---

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in